

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>राजस्व अपील संख्या 81 / 2016 बिड़दाराम बनाम शंकराराम वगैरा</p>
<p>29.12.2017</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलार्थी ने अपील अतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध आदेश दिनांक 23.06.2016 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 में पारित किया गया के विरुद्ध पेश की है। उक्त प्रकरण में अपील सुनवाई की कार्यवाही के दौरान अपीलान्त बिड़दाराम पुत्र शिवनाथराम जाति मेघवाल निवासी आनन्द नगर (फतेहगढ़) देचू तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर ने एक प्रार्थना-पत्र अतर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी बाबत अपील विद्गोल करने का पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्त ने यह जाहिर किया कि अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट के मध्य लोक अदालत की भावना से गांव के मौजीज व्यक्तियों की समझाईश से राजीनामा हो गया है अतः उक्त अपील को अब चलाना नहीं चाहता। अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट दोनों भाई है। अतः अपील अपीलान्त जरिये विद्गोल करने का निवेदन किया है।</p> <p>अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 23.01.2017 पर अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट शंकराराम के हस्ताक्षर है। अपीलान्त बिड़दाराम की पहचान अधिवक्ता मेघराज जोशी ने की है। रेस्पोजेन्ट की तरफ से दिनांक 23.03.2017 को No Objection अंकित किया गया।</p> <p>अतः अपील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अतर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण उक्त अपील अपीलान्त चलाना नहीं चाहता है अतः अपील अपीलान्त जरिये विद्गोल खारिज की जाती है।</p>